



अपील संख्या : 457 / 2014..... जिला : जालौर.....  
 उनवान मैसर्स विष्णु एजेन्सी बनाम वा.क.अ., जालौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.04.2014	<p style="text-align: center;"><u>शुद्ध अपील</u>                      श्री सुनील शर्मा, सदस्य                      श्री अमर सिंह, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री ओ.पी.माहेश्वरी एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थन पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जालौर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 14/आरवैट/जालौर/13-14 मे संयुक्तादेश दिनांक 05.03.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 05.12.2013 के अन्तर्गत कायम की गई मांग राशि में रु. 16,241/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है।</p> <p>अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में कथन किया गया है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी के विक्रय का कारोबार किया जाता है, जिस पर निर्धारित दर से कर वसूल किया गया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी को अधिक कर दर से कर योग्य मानकर अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 9 प्रतिशत से आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज राशियों के स्थगित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में आदेश में कोई विवरण अंकित नहीं किया है। अतः आरोपित कर एवं ब्याज को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>प्रत्यर्थी-पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध किया गया।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे ज्ञात होता है कि विक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी में कर दर का प्रश्न अपील में अंतर्ग्रस्त (involve) है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया आंशिक सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में बनता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत शेष वसूली योग्य कुल राशि रु. 16,241/- की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के <u>तीन माह</u> में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               (अमर सिंह)              सदस्य         </div> <div style="text-align: center;">               (सुनील शर्मा)              सदस्य         </div> </div>	